(b) what is the estimated loss suffered by that State as a result thereof! and

(c) what additional assistance is proposed to be given to the State later and whether any memorandum from the State Government was received in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) to (c) The Government of Kerala has reported that the loss suffered due to recent floods in the State is estimated at Rs. 518·46 crores. The Central share of margin money of Rs. 4·50 crore has been released on 2nd August, 1989. Further Central assistance would be approved in accordance with the established procedure on receipt of the updated memorandum from the State Government.

दिल्ली में नये राशन कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया

3166. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवेदक को नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए ग्राम प्रधान और ब्लाक विकास अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करना होत है;

(ख) यदि नहीं, तो आवेदक द्वारा दिल्ली में नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए किन-किन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है और नये राशन कार्ड के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राशन कार्ड जारी करने में कितना समय लिया जाता है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) इस विषय पर दिल्ली प्रशासन की विस्तृत आवश्यकताओं के बारे में एक विवरण संलग्न है। (पया नीचे देखें)

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा यह बताया गया है कि यदि (ख) में दिए गए विवरण के अनुसार पूरी सूचना दस्तावेजी प्रमाणों, जैसे किराए की रसीद, वापस करने/नाम कटाने के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र, के साथ प्रस्तुत की जाती है तो राशन कार्ड तत्काल जारी कर दिया जाता है। अधूरी सूचना/कागजात सत्यापन किए जाने के उपरान्त इसे जारी कर दिया जाता है।

विवरण

राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदकों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

(क) आवेदक पक्के मकान में रह रहा हो।

(ख) आवेदक, आवेदन पत्र में दिए गए पते पर वास्तव में रह रहा हो।

(ग) गैर-कानूनी ढंग से कब्जा किए जाने का प्रमाण नहीं होना चाहिए।

(घ) आवेदक द्वारा अपना यह दावा साबित करने के लिए कि वह दिए गए पते पर वास्तव में रह रहा है, निम्नलिखित कागजात में से कम से कम एक पेश किया जाना चाहिए :

1. किराए की रसीद
2. बिजली का बिल
3. पानी का बिल
4. टेलीफोन का बिल
5. गृह कर की रसीद
6. गैस का कनेक्शन
7. मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र